

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक: प. 1(2)कार्मिक/ख-3/2012

जयपुर, दिनांक:

6 FEB 2012

परिपत्र

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
समस्त प्रमुख शासन सचिव।
समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।

विषय: सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित की जानी है।

अतः शासन सचिवालय में कार्यरत अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे इस हेतु अपने फिंगर प्रिन्ट के नमूने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

All DS

7/2

(खेमराज)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रेषित कर लेख है कि शासन सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों की बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज हेतु अधिकारियों के फिंगर प्रिन्ट लिये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जावे।
2. समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ / निजी सचिव एवं वरिष्ठ निजी सहायक, राजस्थान सचिवालय सेवा संघ।

उरु

शासन उप सचिव